e-ISSN:2582-7219

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 7, Issue 6, June 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.521

6381 907 438 6381 907 438 ijmrset@gmail.com www.ijmrset.com

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 6, June 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0706109 |

एक राष्ट्र, एक चुनाव: विश्लेषण

Neha Sharma

M.A, Department of Political Science, UGC-NET, PG, SPC Govt. College, Ajmer, Rajasthan, India

सार: एक राष्ट्र, एक चुनाव भारत सरकार द्वारा लोकसभा(भारतीय संसद का निचला सदन) और सभीराज्य विधानसभाओंके चुनाव को साथ में कराने के लिए विचार समाप्त एक प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य इन चुनावों को एक साथ, या तो एक ही दिन या एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर आयोजित करना है।

I. परिचय

स्वतंत्रता के बाद पहले कुछ आम चुनाव राज्य विधानसभा चुनाव के साथ ही हुए थे। यद्यपि यह परंपरा 1967 तक जारी रही, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था बाधित हो गई। [2] 2014 से,नरेंद्र मोदी, जो उस समयगुजरात के मुख्यमंत्रीवे एक साथ चुनाव कराने की वकालत कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे जनता के पैसे की बर्बादी होगी और विकास कार्य को आधार रूप से चलेंगे, जो अन्यथा आदर्श आचार संहिता लागू होने पर रुक जाएंगे। [3]

अगस्त 2018 में, भारत के विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने पर अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की। इस तरह के एक साथ चुनाव कराने के लिए, इसने कहा कि संविधान, विशेषाधिकार अधिनियम 1951 और कांग्रेस तथा राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में उचित संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। [2] इसका मतलब यह है कि संविधान, विशेषाधिकार अधिनियम 1951 और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में एक साथ चुनाव कराने के लिए उचित संशोधन की आवश्यकता होगी। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि इसे कम से कम 50% राज्यों से अनुसमर्थन प्राप्त हो। हालांकि, चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों पर आयोग ने कहा कि इससे जनता के पैसे की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर दबाव कम होगा, सरकारी नीतियों का समय पर लागू होगा और चुनाव प्रचार के बजाय प्रशासनिक व्यवस्था पर विकास गतिविधियों पर जोर होगा। ध्यान केंद्रित होगा। [4]

तर्क और आवश्यकता

संसदीय चर्चा में विचार-विमर्श किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत के चुनाव में कांग्रेस और विधानसभाओं के चुनावों में 4,500 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आता है। यह बढ़ती कीमतों और राजनीतिक दलों द्वारा घोषित और अघोषित चुनाव खर्चों के अतिरिक्त है। [3] कार्मिक, लोकशिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने "लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की, 2015" पर अपनी 79वीं रिपोर्ट में दो चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की, जिसे इस विषय पर पहुंचने का अधिक व्यावहारिक तरीका बताया गया है। पहला चरण नवंबर 2016 में हो सकता है, रिपोर्ट में कहा गया है,[1,2,3] जिसे पिछले साल पेश किया गया था। उन सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव, औसत कार्यकाल चुनाव की तारीख से छह महीने से एक वर्ष की समयावधि से पहले या बाद में समाप्त होता है, एक साथ देखा जा सकता है। इसलिए, संसदीय पैनल का विचार था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा करना होगा, जबकि शेष को बढ़ाया जा सकता है। [3] चुनाव के समन्वय के लिए रूपरेखा का सुझाव देना तथा विशेष रूप से, उन चरणों और समय-सीमाओं का सुझाव देना, जिनके भीतर एक साथ चुनाव दिखना संभव है, यदि चुनाव एक साथ नहीं दिख सकता है तथा इस संबंध में संविधान और अन्य शब्दों में संशोधन का सुझाव देना तथा ऐसे नियमों का प्रस्ताव करना जो ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक हो सकते हैं।

2 सितंबर 2023 को भारत सरकार ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की अधिसूचना जारी की। [5] इस आलेख में कहा गया है:

" 1951-52 से 1967 तक लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव ज्यादातर एक साथ ही होते थे, जिसके बाद यह चक्र टूट गया और अब, चुनाव लगभग हर साल और एक वर्ष के भीतर भी अलग-अलग समय पर होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार और अन्य पहलुओं पर भारी खर्च होता है, ऐसे चुनावों में लगे सुरक्षा बलों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों को काफी लंबी अवधि के लिए अपने प्राथमिक कर्तव्यों से विमुख होना पड़ता है, आदर्श आचार संहिता के लंबे समय तक लागू रहने के कारण विकास कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, आदि;

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 6, June 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0706109 |

और जबकि भारत के विधि आयोग ने चुनावी मुद्दों पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा है कि: "हर साल और बेमौसम चुनाव के इस चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए। हमें उस स्थिति पर वापस जाना चाहिए, जहां कांग्रेस और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। यह सच है कि हम उन सभी घटनाओं और घटनाओं की कल्पना या प्रस्ताव नहीं कर सकते हैं जो अनुच्छेद 356 के उपयोग के कारण उत्पन्न हो सकते हैं (जो निश्चित रूप से एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद काफी हद तक कम हो गई है) या अन्य कारणों से, फिर भी विधान सभा के लिए अलग से चुनाव करना अपवाद होना चाहिए, न कि नियम। नियम यह होना चाहिए कि 'लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए पांच साल में एक बार चुनाव' हो।"[5,6]

और इसके बाद विभाग-संबंधित कार्मिक, लोकशिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने दिसंबर, 2015 में 'लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की परिस्थितियाँ' पर अपनी 79वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है और दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने की एक वैकल्पिक और व्यावहारिक विधि की सिफारिश की है;
अब, इसलिए, समावेशी को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि राष्ट्रीय हित में देश में एक साथ चुनाव कराना है, भारत सरकार एक उच्च स्तरीय समिति जिसे आगे 'एचएलसी' कहा जाएगा] का गठन करती है जो राष्ट्रीय हित में देश में एक साथ चुनाव कराना है। के मुद्दे की जांच करेगी तथा देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार होगी। "
यह समिति भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंदकी अध्यक्षता में स्थापित की गई है ।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी उन्होंने कहा कि एक बार समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे, तो उस पर सार्वजनिक डोमेन और संसद में चर्चा की जाएगी। [6] उन्होंने कहा, " घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि चर्चाएँ होंगी। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमें लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। इस लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र का विकास है।" [2]

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग कानूनी मंच के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है। [7]
समिति के सदस्य चौधरी ने इसे "पूरी तरह से प्रस्तुत" करते हुए कहा कि वे समिति का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि समिति के "संदर्भ कीब्स" "इस तरह से तैयार किए गए हैं कि वे अपने सदस्य की मौजूदगी दें।" [8] कांग्रेस नेतापी. चिदंबरम उन्होंने कहा कि सरकार "कठपुतली समिति" की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय[4,5,6] और राज्य चुनावों को मिलाकर, भाजपा को दो-तिहाई बहुमत के साथ कांग्रेस चुनाव जीतने और पर्याप्त राज्यों में जीत हासिल करने की उम्मीद है। पूर्व कानून मंत्रीकपिल सिब्बलउन्होंने कहा कि "एक राष्ट्र एक चुनाव मोदी सरकार का पतन होगा"। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आग से खेल रही है और वे न केवल अपने हाथ जलाएंगे बल्कि सरकार को नष्ट कर देंगे।

II. विचार-विमर्श

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (वन नेशन, वन इलेक्शन- ओएनओई) पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया और संभावित सुझावों के साथ आम लोगों एवं न्याय मतदाताओं के विचारों का स्वागत किया। एक राष्ट्र - एक चुनाव का प्रस्ताव भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे और संघीय ढाँचे पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है।
'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के पीछे केंद्रीय विचार क्या है?

- यह अवधारणा एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करती है जहाँ प्रत्येक पाँच वर्ष पर सभी राज्यों के चुनाव कांग्रेस के आम चुनावों के साथ-साथ मनाया जाएगा।
- यह विचार है कि गतिशील प्रक्रिया को धन्यवाद दिया जाए और कर्म की अनुभूति को कम किया जाए, जिससे समय और उपहार की बचत होगी।

- दिनांक:
  - यह विचार वर्ष 1983 से ही अस्तित्व में है, जब निर्वाचन आयोग ने पहली बार इसे पेश किया था। हालाँकि वर्ष 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आयोजित करना एक सामान्य परिदृश्य रहा था।
    - कांग्रेस के प्रथम आम चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किये गये थे।
    - यह अभ्यास वर्ष 1957, 1962 और 1967 में आयोजित अगले तीन आम वर्षों में भी जारी रहा।
  - लेकिन वर्ष 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय-पूर्व विघटन के कारण यह चक्र बाधित हो गया।
    - वर्ष 1970 में स्वयं कांग्रेस का समय-पूर्व विघटन हो गया और वर्ष 1971 में नए चुनाव आयोजित किये गये। इस प्रकार, वर्ष 1970 से केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय शताब्दी तक पांच वर्षों का कार्यकाल पूरा हो गया।[1,2]
- विश्व में अन्य स्थानों पर एक साथ चुनाव:
  - दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं, जबकि नगरीय निकाय चुनाव प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 6, June 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0706109 |

- स्वीडन में राष्ट्रीय विधानमंडल (रिक्सडाग), प्रांतीय विधानमंडल/काउंटी कौंसिल (लैंडस्टिंग) और स्थानीय संघ/नागरिकीय सभाओं (कोमुनफुलमक्तिगे) के चुनाव एक निश्चित तिथि पर, यानी हर चौथे वर्ष सितंबर के दूसरे रविवार को आयोजित किये जाते हैं। [7,8,9]
- ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता एवं पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि संसद अधिनियम, 2011 (Fixed-term Parliaments Act, 2011) पारित किया गया था।
  - इसमें तय किया गया है कि पहला चुनाव 7 मई 2015 को होगा और उसके बाद हर पांचवें साल मई महीने के पहले गुरुवार को आयोजित किया जाएगा।

- एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections) या ONOE के विभिन्न लाभ क्या हैं?
- शासन विकर्षणों को कम करना:
  - बार-बार चुनाव आयोजित होने से शीर्ष नेताओं को लेकर स्थानीय मीडिया तक पूरे देश का ध्यान भटक जाता है, जिससे विभिन्न स्तरों पर प्रशासन एक तरह से पंगु हो जाता है।
  - यह गतिशील विजयता भारत की विकास क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और प्रभावी शासन में बाधाएं उत्पन्न करती है।
- आदर्श आचार संहिता का प्रभाव:
  - चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर प्रमुख नीतिगत चरणों में देरी का कारण बनती है।
    - यहाँ तक कि चल रही परियोजनाओं में भी बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि चुनाव संबंधी कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे नियमित प्रशासन में सुस्ती आती है।
- भ्रष्टाचार निवारण को निर्देशित करना:
  - बार-बार चुनाव के आयोजन में भ्रष्टाचार योगदान करते हैं क्योंकि प्रत्येक चुनाव के लिए उल्लेखनीय मात्रा में धन की आवश्यकता होती है।
  - एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च में व्यापक कमी आ सकती है, जिससे बार-बार धन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
    - इससे आम लोगों और व्यापारिक समुदाय पर बार-बार दबाव भी कम होगा।
- लागत बचत और आर्थिक एवं संविधि:
  - वर्ष 1951-52 में जब कांग्रेस का पहला चुनाव हुआ तो इसमें 53 राजनीतिक दल शामिल हुए और लगभग 1874 सीटें जीतकर चुनाव की लागत 11 करोड़ रुपए रही।
    - वर्ष 2019 के आम चुनाव में 610 राजनीतिक दल और लगभग 9,000 लाभार्थियों ने भागीदारी की। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, राजनीतिक दलों ने लगभग 60,000 करोड़ रुपये के चुनावी खर्च की घोषणा की है।
  - यद्यपि अवसंरचना में आरंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी चुनावों के लिए समान ग्राहक सूची का उपयोग करने से लेकर ग्राहक तालिका को अद्यतन करने और बनाए रखने में सक्षम होने से व्यापक समय एवं धन की बचत हो सकती है।
- नागरिकों को सुविधा:
  - एक साथ चुनाव होने से मतदाता सूची से नाम गायब के संबंध में प्रतिस्पर्धियों की चिंता कम हो जाएगी।
  - सभी मतदान के लिए अनुकूल मतदाता सूची का उपयोग प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है, जिससे नागरिकों को अधिक प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय मतदान अनुभव प्राप्त होता है।
- कानून प्रवर्तन का लाभ उपयोग:
  - चुनाव के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर बार-बार मुठभेड़ों में उल्लेखनीय लागत आती है तथा प्रमुख कानून प्रवर्तन कर्मियों के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों से विचलन होता है।
  - एक तरफ जहां चुनाव से बार-बार परिणामों की कमी होगी, वहीं दूसरी तरफ दोषियों का उपयोग भी होगा और कानून-प्रवर्तन कुशलता भी होगी।
- 'हॉर्स-ट्रेडिंग' पर अंकुश:
  - निश्चित अंतराल पर आयोजित चुनावों से सस्ती दरों पर घोड़ों द्वारा ट्रेडिंग या खरीद-फरोख्त को कम किया जा सकता है।
  - निश्चित अवधियों पर चुनाव कराने से लेकर व्यक्तिगत लाभ के लिए दल-परिवर्तन या गठबंधन बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, जो मौजूदा दल-बदल विरोधी शक्तियों को पूरकता प्रदान करेगा। [2,3]
- वित्तीय स्थिरता के लिए राज्य सरकारों को निर्देश:

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 6, June 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0706109 |

- बार-बार चुनावों के कारण राज्य सरकारें मुफ्त सुविधाओं या 'फ्रीबीज' की घोषणा करती हैं, जिससे प्रायः उनके वित्त पर दबाव पड़ता है।
- एक तरफ चुनाव का आयोजन इस समस्या को कम कर सकता है, तो दूसरी तरफ राज्य पर वित्तीय बोझ कम हो सकता है और दूसरी तरफ वित्तीय स्थिरता में योगदान प्राप्त हो सकता है।

- ONOE से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
- संवैधानिक चिंताएँ और मध्य-कार्यकाल पतन:
  - संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172 में क्रमशः कांग्रेस और राज्य विधानसभाओं के लिए पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया गया है, यदि समय-पूर्व उनका समापन नहीं हो सकता।
  - ONOE की अवधारणा उन परिदृश्यों को प्रश्नगत करती है यदि केंद्र या राज्य सरकार के कार्यकाल के मध्य में ही पतन हो जाए।
    - उस परिदृश्य में प्रत्येक राज्य में पुनः चुनाव कराना या राष्ट्रपति शासन लगाने की जटिल संवैधानिक रूपरेखा तैयार की गई है।
- ONOE को लागू करने में रसद संबंधी चुनौतियाँ:
  - ONOE के कार्यान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कर्मचारी और अन्य माउस की सभी सुविधाएँ एवं सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण रसद संबंधी चुनौतियाँ शामिल हैं।
  - निर्वाचित आयोग को इतने बड़े पैमाने पर परिकलित अभ्यास के प्रबंधन में निरीक्षण का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ONOE प्रस्ताव की रूपरेखा बढ़ जाएगी।
- संघवाद संबंधी चिंताएँ और विधि आयोग के निष्कर्ष:
  - ONOE की अवधारणा संघवाद (संघवाद) की अवधारणा से प्रभावित है; इस संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में देखने के विपरीत विचार है।
    - एक साथ चुनावी राज्य की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता पर हमला है। इससे न केवल संघीय ढांचा तैयार हो सकता है बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच हितों का टकराव भी बढ़ सकता है।
      - कुछ राज्यों के कार्यकाल अलग-अलग होते हैं और कुछ राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान किए जाते हैं।
  - आर.बी.एस. चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने बताया कि मौजूदा संवैधानिक ढाँचे के भीतर एक साथ चुनाव संपन्न कराना कोई शर्त नहीं है।
    - इसके लिए संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी।
- प्रेस विज्ञप्तियां और लोकतांत्रिक लाभ:
  - बार-बार आयोजित चुनावों की वर्तमान प्रणाली को लोकतंत्र में लाभप्रद माना जाता है, जिससे लोकतंत्र को अपनी आवाज अधिक बार करने की अनुमति मिलती है।
  - यह व्यवस्था राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के बीच मुद्दों के मिश्रण को रोकती है, जिससे अधिक संतुष्टि सुनिश्चित होती है।
  - वर्तमान ढाँचे के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आकृति और ध्वनि मिलती है।
- अपूर्ण लोकतांत्रिक संरचना:
  - आईडीएफसी इंस्टीट्यूट के वर्ष 2015 के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि एक साथ चुनाव से इस बात की 77% संभावना बनती है कि विजयी राजनीतिक दल या गठबंधन को कांग्रेस और राज्य विधानसभाओं में, दोनों में जीत मिलेगी।
    - हालाँकि, यदि दोनों चुनाव छह माह के अंतराल पर आयोजित हों तो केवल 61% मतदाता ही दोनों चुनावों में एक ही दल को चुनेंगे। [3,4,5]
- लागत सिद्धांत और आर्थिक विचार:
  - एक साथ चुनाव की लागत के बारे में निर्वाचित आयोग और नीति आयोग के अनुमान विरोधी आँकड़े सामने आते हैं। यद्यपि दीर्घकालिक अनुकूलन से प्रति मतदाता लागत में बचत हो सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) की उपलब्धता के लिए लघु-अवधि खर्च बढ़ाया जा सकता है।
    - आर्थिक शोध से पता चलता है कि राजनीतिक दलों और समर्थन द्वारा किए जाने वाला चुनावी खर्च, संभवतः लघु-अवधिक लागत में वृद्धि के बावजूद, अंततः अर्थव्यवस्था एवं सरकारी कर राजस्व को लाभ पहुंचाता है।
- कानूनी चिंताएँ:
  - एक साझा चुनाव प्रक्रिया की प्रारंभिक संविधान का उल्लंघन हो सकता है, जैसा कि एस.आर. मामले में यह बात सामने आई थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व पर बल दिया था।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 6, June 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0706109 |

- परामर्श प्रक्रिया में भाषा अभ्यास:
  - उच्चस्तरीय समिति की परामर्श प्रक्रिया (जैसा इसकी वेबसाइट पर प्रकट होता है) पूर्वाग्रह, असमानता और असमानता के संबंध में मानसिकता को जन्म देती है।
  - सूचना कोष और विशाल प्लेटफार्मों के रूप में उपस्थित वेबसाइटें केवल अंग्रेजी एवं हिंदी में उपलब्ध है और भारत की अन्य 22 आधिकारिक कृतियों की सूची बनाती है।
- निर्वाचक आयोग की स्वतंत्रता:
  - निर्वाचक आयोग की भूमिका और स्वतंत्रता के बारे में सवाल उठाए गए हैं। इसे 'नोटबंदी' जैसे परिदृश्य से जोड़ा जा रहा है, जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित नहीं किया गया था।
  - उच्चस्तरीय समिति की प्रक्रिया में निहित आयोग संकल्पना प्रकट होती है, जिससे चुनाव पर स्वतंत्र निर्णय लेने की उसकी स्वायत्तता खतरे में पड़ जाती है।
- आम सहमति का निर्माण करना:
  - एक तरफ चुनाव की संभावनाओं के लिए राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच आम सहमति बनाना महत्वपूर्ण है। जुनून को दूर करने और समर्थन हासिल करने के लिए विभिन्न पहलुओं के बीच खुले संवाद, परामर्श और विचार-विमर्श की आवश्यकता है।
- संवैधानिक संशोधन:
  - एक तरफ चुनाव कराने के लिए संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और दूसरी तरफ लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के नियमों में संशोधन करना आवश्यक होगा। इस विधिक ढांचे में समकालिक मतदान की विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित किया जाना चाहिए।
- विधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा के साथ अनुरूप करना:
  - संविधान संशोधन में विधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा के साथ संविधान संशोधन में शामिल किया जा सकता है। प्रस्ताव के तौर पर, कोई भी विधानसभा जिसका कार्यकाल लोकसभा चुनाव से 6 माह पूर्व या पश्चात समाप्त हो रहा हो, चुनावी प्रक्रिया को उत्तरदायी करते हुए अपने चुनाव को लोकसभा चुनाव से मानकर चल सकती है।
- अवसंरचना में निवेश:
  - एक साथ चुनाव के सफल कार्यान्वयन के लिए गतिशील अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें ईवीएम, वीवीपैट मशीन, मतदान केंद्र और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।
- विधिक ढोंग के लिए मौखिक प्रार्थना:
  - दुर्भाग्य प्रस्ताव , समय-पूर्व विधानसभा या त्रिशंकु संसद जैसी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए विधिक ढाँचा स्थापित करना आवश्यक है। इस ढांचे का उद्देश्य एक साथ चुनाव चक्र के दौरान उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों का प्रबंधन करना होगा।
- जागरूकता एवं जागरूकता शिक्षा:
  - चुनाव के लाभ और चर्चा के बीच जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक शिक्षा कार्यक्रमों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नागरिक इस प्रक्रिया को समझें, ताकि वे बिना किसी भ्रम या नागरिकों के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

उच्चस्तरीय समिति की स्थापना यह संकेत देती है कि भारत में एक साथ चुनाव पर सिटीजन से विचार किया जा रहा है। संवैधानिक और विधित सिद्धांतों पर संभावित प्रभाव के बारे में मौजूदा चिंताओं के बावजूद, समिति की सिफारिशों के लिए एक निश्चित समयरेखा की कमी का माहौल बना रहा है। कानूनी चिंताएँ, विशेष रूप से राज्य विधानमंडल की अवधि में संभावित परिवर्तन, संवैधानिक चुनौतियाँ पेश की जाती हैं। 'एक राष्ट्र - एक चुनाव' को रोका जा सकता है या नहीं, यह सवाल भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक भूमिका को प्रमुखता से सामने आता है।

III. परिणाम

लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। अभी हाल ही में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराये जाने के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों की राय जानने के लिये तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ राजनीतिक दलों ने इस विचार से सहमति जताई, जबकि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 6, June 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0706109 |

इसका विरोध किया। उनका कहना है कि यह विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जाहिर है कि जब तक इस विचार पर आम राय नहीं बनती तब तक इसे धरातल पर उतारना संभव नहीं होगा।

- इस लेख के माध्यम से हम कई सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, जैसे- एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों है? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देश में इस प्रक्रिया को फिर से लाने के पक्ष में क्या तर्क हैं? इसकी सीमाएँ क्या हैं? इसमें आगे की राह क्या है? तो आइये, एक-एक कर इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं।
- क्यों है जरूरत एक देश एक चुनाव की[8,9]
- किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है। अगर हम देश में होने चुनावों पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। इस सबसे बचने के लिये नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया।
- गौरतलब है कि देश में इनके अलावा पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव भी होते हैं किन्तु एक देश एक चुनाव में इन्हें शामिल नहीं किया जाता।
- आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने एक वैचारिक उपक्रम है। यह देश के लिये कितना सही होगा और कितना गलत, इस पर कभी खत्म न होने वाली बहस की जा सकती है। लेकिन इस विचार को धरातल पर लाने के लिये इसकी विशेषताओं की जानकारी होना जरूरी है।
- इसकी पृष्ठभूमि क्या है
- एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है, जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएँ विभिन्न [1,2,3]कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। आपको बता दें कि 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। जाहिर है जब इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं तो अब करवाने में क्या समस्या है।
- एक तरफ जहाँ कुछ जानकारों का मानना है कि अब देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा एक साथ चुनाव करा पाना संभव नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विश्लेषक कहते हैं कि अगर देश की जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीक और अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है। इसलिए एक देश एक चुनाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु इन सब से इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती, इसके लिए हमें इसके पक्ष और विपक्ष में दिये गए तर्कों का विश्लेषण करना होगा।
- एक देश एक चुनाव के समर्थन में दिये जाने वाले तर्क
- एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि यह विकासोन्मुखी विचार है। जाहिर है लगातार चुनावों के कारण देश में बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है| इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने समस्या आती है। इसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनावों की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिये बनाया गया है।
- इसके तहत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद सत्ताधारी दल के द्वारा किसी परियोजना की घोषणा, नई स्कीमों की शुरुआत या वित्तीय मंजूरी और नियुक्ति प्रक्रिया की मनाही रहती है। इसके पीछे निहित उद्देश्य यह है कि सत्ताधारी दल को चुनाव में अतिरिक्त लाभ न मिल सके। इसलिए यदि देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराया जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी, और इसके बाद विकास कार्यों को निर्बाध पूरा किया जा सकेगा।
- एक देश एक चुनाव के पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि इससे बार-बार चुनावों में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। गौरतलब है कि बार-बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की आर्थिक सेहत के लिये ठीक नहीं है।
- एक देश एक चुनाव के पक्ष में दिये जाने वाले तीसरे तर्क में कहा जाता है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह किसी से छिपा नहीं है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि देश में प्रत्याशियों द्वारा चुनावों में किये जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, किन्तु राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित[2,3,4] नहीं की गई है। कुछ विश्लेषक यह मानते हैं कि लगातार चुनाव होते रहने से राजनेताओं और पार्टियों को सामजिक समरसता भंग करने का मौका मिल जाता है जाता है,जिसकी वजह से अनावश्यक तनाव की परिस्थितियां बन जाती हैं| एक साथ चुनाव कराये जाने से इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है।
- इसके पक्ष में चौथा तर्क यह है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार-बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय तो बचेगा ही और वे अपने कर्त्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 6, June 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0706109 |

पायेंगे। आपको बता दें कि हमारे यहाँ चुनाव कराने के लिये शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं, जिससे उनका कार्य प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, निर्बाध चुनाव कराने के लिये भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैइसके अलावा बार-बार होने वाले चुनावों से आम जन-जीवन भी प्रभावित होता है।

- एक देश एक चुनाव का विरोध क्यों?
- एक देश एक चुनाव के विरोध में विश्लेषकों का मानना है कि संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया है जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाएँ पाँच वर्षों के लिये चुनी जाती हैं, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। मसलन अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नये राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य राज्य बना सकती है, जहाँ अलग से चुनाव कराने पड़ सकते हैं।
- इसी प्रकार अनुच्छेद 85(2)(ख) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और अनुच्छेद 174(2)(ख) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को पाँच वर्ष से [4,5,6]पहले भी भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के राजनीतिक समीकरण में अप्रत्याशित उलटफेर होने से वहाँ फिर से चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। ये सारी परिस्थितियाँ एक देश एक चुनाव के नितांत विपरीत हैं।
- एक देश एक चुनाव के विरोध में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि यह विचार देश के संघीय ढाँचे के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिये घातक कदम होगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं के मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जायेगा जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। भारत का संघीय ढाँचा संसदीय शासन प्रणाली से प्रेरित है और संसदीय शासन प्रणाली में चुनावों की बारंबारता एक अकाट्य सच्चाई है।
- एक देश एक चुनाव के विरोध में तीसरा तर्क यह है कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएँ या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो दें। दरअसल लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव का स्वरूप और मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा के चुनाव जहाँ राष्ट्रीय सरकार[6,7,8] के गठन के लिये होते हैं, वहीं विधानसभा के चुनाव राज्य सरकार का गठन करने के लिये होते हैं। इसलिए लोकसभा में जहाँ राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है, तो वहीं विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय महत्त्व के मुद्दे आगे रहते हैं।
- इसके विरोध में चौथा तर्क यह है कि लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। देश में संसदीय प्रणाली होने के नाते अलग-अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं और जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे छोटे-छोटे अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ कराये जाते हैं, तो ऐसा होने की आशंका बढ़ जाएगी।
- एक देश एक चुनाव के विरोध में पाँचवा तर्क यह दिया जाता है कि भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लिहाजा बड़ी आबादी और आधारभूत संरचना के अभाव में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना तार्किक प्रतीत नहीं होता।

IV. निष्कर्ष

- एक देश एक चुनाव की अवधारणा में कोई बड़ी खामी नहीं है, किन्तु राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है उससे लगता है कि इसे निकट भविष्य लागू कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत हर समय चुनावी चक्रव्यूह में घिरा हुआ नजर आता है।
- चुनावों के इस चक्रव्यूह से देश को निकालने के लिये एक व्यापक चुनाव सुधार अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसके तहत जनप्रतिनिधित्व कानून में सुधार, कालेधन पर रोक, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर रोक, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना शामिल है जिससे समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की जा सके।
- यदि देश में 'एक देश एक कर' यानी GST लागू हो सकता है तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता? अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल खुले मन से इस मुद्दे पर बहस करें ताकि इसे अमलीजामा पहनाया जा सके।[9]

संदर्भ

1. भावसार, करप्शन प्रणव (2023-09-01)। "एक राष्ट्र, एक चुनाव': इसका क्या मतलब है? लाभ, नुकसान यहाँ देखें" . मिनट . 2023-09-02 को पुनर्प्राप्त .
2. ^ ए बी सी दासगुप्ता, श्रावस्ती (2 सितम्बर, 2023) . 'एक राष्ट्र, एक चुनाव', चौथी समिति" . द वायर . 2023-09-02 को सार्थक.

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 7, Issue 6, June 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0706109 |

3. ^ एबी सी "बीएल एक्सप्लेनर: क्या एक राष्ट्र, एक मतदान एक वास्तविकता बन सकता है?" . बिनलाइन . 2023-09-07.मूल से 13 सितंबर, 2023 को दायर । 2023-09-10 को लिया गया ।
4. ^ सिंह, कार्तिकेय (2023-09-04)। "समझया | 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर क्या बहस चल रही है?" . द हिन्दू . आईएसएसएन 0971-751X . मूल से 11 जनवरी, 2024 को प्रसारित । 2023-09-10 को लिया गया ।
5. ^ विधि एवं न्याय मंत्रालय, कल्याण विभाग (2 सितंबर 2023)। "एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए उच्च आदर्श समिति के गठन के संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन" (पीडीएफ) । 2 सितंबर 2023 को लिया गया ।
6. ^ "अमित शाह, अधीर, आज़ाद 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार की जांच करने के लिए आठ पैनल में शामिल ". इंडियन एक्सप्रेस । 2023-09-02. मूल से 2023-09-02 को शिकायत । 2023-09-02 को लिया गया।
7. ↑ बिस्वास, सायंतनी, सं. (2023-09-06). " 'ईसीआईकार्रवाई के लिए तैयार': 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' नीति पर सीईसी राजीव कुमार" । टकसाल । 2023-09-10 को लिया गया।
8. ^ सीजी, मनोज (2023-09-02)। "सरकार ने 1-राष्ट्र, 1-चुनाव पैनल को अधिसूचित किया; विपक्ष का एकमात्र नाम अधीर ने वापस लिया, यह दिखावा किया गया"। इंडियन एक्सप्रेस । मूल से 13 सितंबर, 2023 को दायर । 2023-09-02 को लिया गया ।
9. ^ थापर, करण (7 सितंबर, 2023)। "देखें: एक राष्ट्र एक चुनाव मोदी को नुकसान पहुंचाएगा; विभाजनकारी मुद्दे पर पैनल की अध्यक्षता करने वाले पूर्व राष्ट्रपति का पद कम हुआ"। द वायर । 2023-09-10 को लिया गया ।

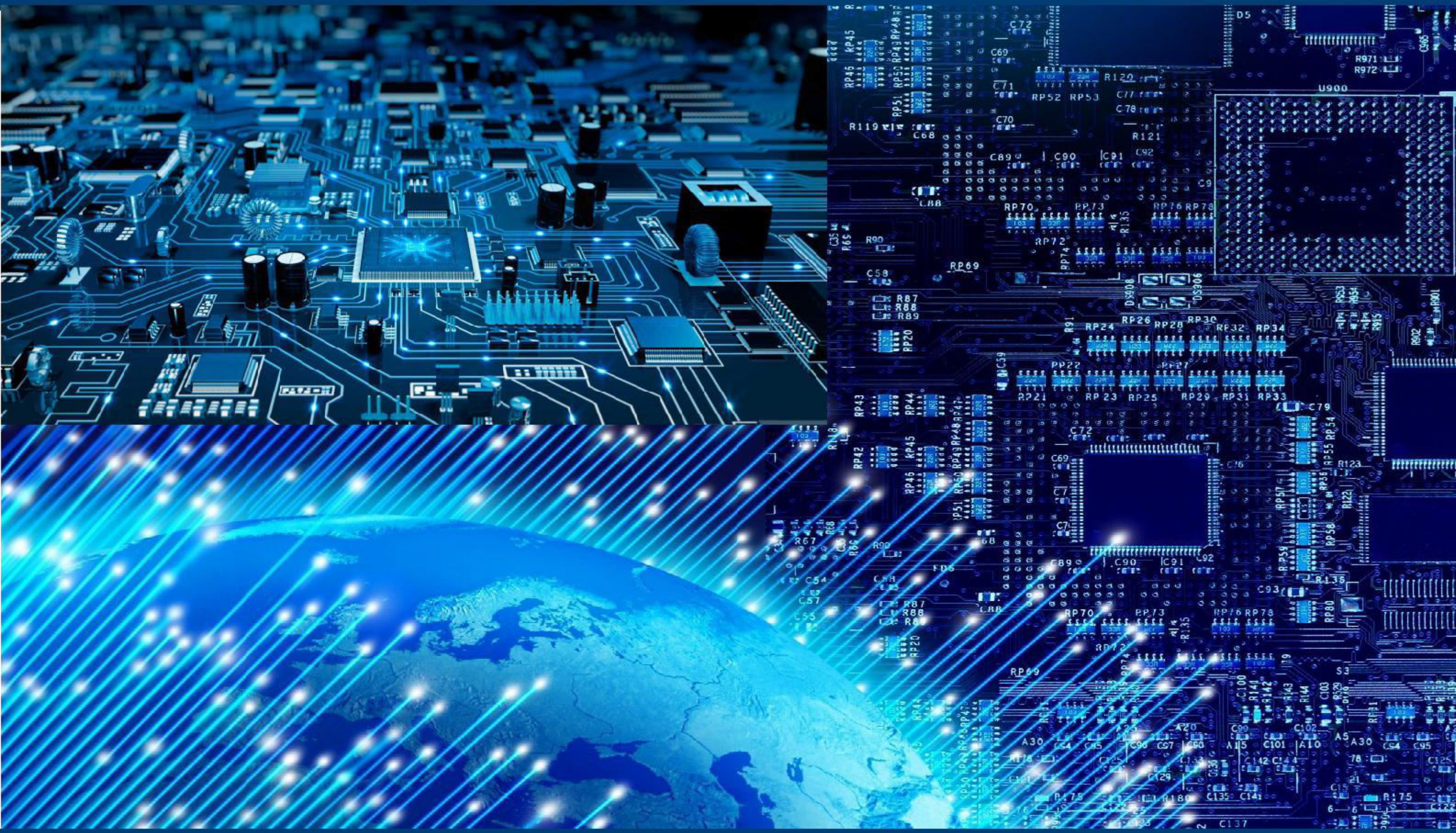

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com